क्रम संख्या–01 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 03 जनवरी, 2015 ई0

पौष 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 342 / XXXVI(3) / 2015 / 79(1) / 2014

देहरादून, 03 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014"** पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2015)

निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने तथा उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों के लिए

अधिनियम

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के पेंसठवें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014, है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष धाराएं ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से राजपत्र द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं 2 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क)''अपीलीय प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख)''संग्रहकर्ता'',''निरीक्षक'',''निर्धारक प्राधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण और कर संग्रह हेतु राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत किया जाय;

(ग)''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''हरित ऊर्जा निधि'' से इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(ड.)''यूनिट'' से एक घंटे के भीतर एक किलोवॉट उपभोग या उत्पादित की गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(च) ''यूपीसीएल'' से उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण हेतु उत्तरदायी उत्तराखण्ड की कंपनी अभिप्रेत है।

हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण और उद्ग्रहण

3 (1)ऐसी ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित तथा राज्य के बाहर पारेषित की जाती है, पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण और उद्ग्रहण किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर उन उत्पादकों द्वारा राज्य में उत्पन्न विद्युत पर उद्ग्रहीत व देय होगा जो उत्पादित ऊर्जा को राज्य से बाहर पारेषित कर रहे हैं। यह उपकर उत्पादित ऊर्जा के ऐसे प्रतिशत पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा जैसा राज्य सरकार को निःशुल्क ऊर्जा के रूप में दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट पर दस पैसे तक अधिरोपित किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर उत्पादक कंपनी द्वारा देय होगा।

वाणिज्यिक और आद्यौगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण

4 इसके अतिरिक्त, दस पैसा प्रति यूनिट तक का हरित ऊर्जा उपकर राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर अधिरोपण किया जायेगा तथा इस उपकर की राशि यू. पी. सी. एल. द्वारा संग्रहित की जायेगी तथा संग्रह करने के पश्चात् ही निधि में जमा की जायेगी।

उपकर का संदाय

5 धारा 3 तथा धारा 4 के अधीन अधिरोपित उपकर, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी एवं जो कम से कम चालू वर्ष में लागू रहेगा, को यथास्थिति उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा वित्त वर्ष के 30 जून को या उस से पहले भुगतान किया जायेगा।

प्राप्तियों का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना

6 उपकर की प्राप्तियों, ब्याज और इस अधिनियम के अधीन वसूल किये गये जुर्माने को पहले राज्य की संचित निधि में

जमा किया जायेगा तत्पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा निर्मित विनियोजन के अधीन उस में से संग्रह और वसूली के व्यय घटाकर अनन्य रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उपयोग के लिये "हरित ऊर्जा निधि" नाम की निधि में प्रविष्ट व अंतरित किया जायेगा।

हरित ऊर्जा निधि की स्थापना

7. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य से "हरित ऊर्जा निधि" नाम से एक निधि की स्थापना की जायेगी।

(2) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी –

(क) धारा 4 के अधीन भुगतान की गई कोई धन राशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान के रूप में कोई राशि।

निधि का प्रबंधन

8. (1)(क) नवीकरण ऊर्जा के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढाना;

(ख) गैर–परम्परागत ऊर्जा का क्रय और आर ई सीज़ (नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र) का क्रय करना;

(ग) राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल करना;

(2) राज्य में ऊर्जा के नवीकरण और गैर–परम्परागत स्रोतों के उत्पादन के विकास और सुधार हेतु योजनाओं के निष्पादन के लिये निधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार के पास निधि के प्रशासन की शक्ति होगी तथा वह ऐसे निर्णय ले सकेगी जो निधि के उचित उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(4) राज्य सरकार के पास निधि से उस राशि के आवंटन और संवितरण की शक्ति होगी जिसे वह इस अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी संबंधित विभाग/अभिकरण के लिये आवश्यक समझे।

उपकर प्राधिकारी

9. (1)इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिये एक व्यक्ति/संगठन की नियुक्ति करेगी जो हरित ऊर्जा उपकर का संग्रहकता/निरीक्षक/निर्धारक प्राधिकारी होगा तथा उसकी सहायता के लिये ऐसे अन्य अधिकारियों

और कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा जो उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें संग्रहकर्ता द्वारा उन्हें प्रदत्त किया जाये या सौंपा जाये।

(2)राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को संग्रहकर्ता या निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे जो राज्य सरकार द्वारा उनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेंगे।

उपकर प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य

10. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उप प्राधिकारी :–

(क) ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की राशि को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक हो;

(ख) किसी ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश कर सकता है जहां निम्नलिखित उद्देश्य से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किये जाने का विश्वास हो –

(एक) रखी गयी लेखा पुस्तकों में दिये विवरण और जमा की गई विवरणी का सत्यापन;

(दो) निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनल्स को पढ़ना और परीक्षण करवाना;

(तीन) उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।

(ग)उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लि0 (यू पी सी एल) द्वारा उपबंधित वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण।

(घ) ऐसी विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण करना जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है तथा राज्य के बाहर पारेषित की जा रही है।

(ङ.) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों का उद्देश्य पूरा करने के लिये आवश्यक हों।

(च) प्रत्येक ऐसा उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जिस से ऐसी मांग की जाती है, उसके अनुपालन और सत्य सूचना देने के लिये आबद्ध होगा।

(छ) यदि यथास्थिति कोई उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) ऐसी मांग का अनुपालन नहीं करता है या सत्य सूचना प्रदान नहीं करता है तो उसे ऐसी परियोजना या भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संबंध में निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी निर्धारण पर आपत्ति करने से रोक दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सभी खोजें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन की जायेंगी।

लेखा पुस्तिकायें, विवरणी और निर्धारण

11. (1)ऐसी प्रत्येक कंपनी जो धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार उपकर का भुगतान करने हेतु दायी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार विद्युत के सकल उत्पादन के अभिलेखन हेतु मीटर संस्थापित करेगा तथा इसे निर्धारित तरीके से अनुरक्षित व प्रचालित रखा जायेगा।

(2)इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर का भुगतान करने की दायी प्रत्येक उत्पादक कंपनी निर्धारित रूप में लेखा पुस्तिकायें रखेगी तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के पास विवरणी जमा करेगी जिसमें उत्पादित ऊर्जा की यूनिटें, देय और भुगतान किये गये उपकर की राशि,

उपयोग किया गया ईंधन तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

(3) यू पी सी एल, निर्धारित रूप में उत्तराखण्ड के सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की लेखा पुस्तिकायें रखेगा तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता के पास विवरणी जमा करेगा जिसमें राज्य में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई यूनिटें, देय और भुगतान किये गये उपकर की राशि तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

स्व निर्धारण

12. (1)इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर व उसके पश्चात् प्रत्येक उत्पादक कंपनी और यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जो इस अधिनियम के अधीन धारा 3 और 4 के अनुसार उपकर के भुगतान के दायी हैं; उस तरीके से स्व निर्धारण करेंगे तथा उस रूप में भुगतान किये जाने वाली अवधि हेतु विवरणी दाखिल करेंगे, जैसा कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2)यथास्थिति प्रत्येक उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जो इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित उपकर की सम्पूर्ण राशि का संग्रहकर्ता को भुगतान करेगा।

(3)यदि यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जिसमें उपधारा (1) के अधीन स्व निर्धारण किया है अपने स्वनिर्धारण के बाद में कोई वास्तविक त्रुटि या चूक पाता है तो वह उस त्रुटि या चूक को सुधार सकता है यदि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप उपकर की राशि में मूल उपकर की राशि की अपेक्षा वृद्धि होती है तो ऐसी अतिरिक्त उपकर की राशि का भुगतान उसके द्वारा किए

गए सुधार की तिथि से तीस दिन के भीतर किया जायेगा। यदि भुगतान किया गया उपकर देय उपकर से अधिक है तो यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा संग्रहकर्ता को आवेदन फाइल करने पर अतिरिक्त भुगतान की राशि प्रतिदेय होगी।

(4)विवरणी के सही होने का अभिनिश्चय करने की दृष्टि से संग्रहकर्ता इस अधिनियम के अधीन उपकर का भुगतान करने की दायी, यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, दस्तावेजों या जानकारी की जांच कर सकेगा।

(5)(क) जहां धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि ऐसी विवरणी के आधार पर भुगतान किये गये किसी उपकर के समायोजन के पश्चात् भी अतिरिक्त उपकर देय रहता है तो इस संबंध में ऐसे देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए संग्रहकर्ता द्वारा यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को सूचना भेजी जायेगी और सूचना को मांग नोटिस माना जायेगा।

(ख) उपधारा 5 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी संग्रहकर्ता अपने स्वयं के प्रस्ताव से या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा देय उपकर का अपने उत्कृष्ट निर्णय के अनुसार निर्धारण कर सकेगा, जहां –

(एक)यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करती है, या

(दो)यह विश्वास करने का निश्चित कारण है कि यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है।

(ग) यदि उपधारा 5 के खण्ड (ख) के अधीन निर्धारण करने के पश्चात् संग्रहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) से उपकर देय हो गया है तो वह देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को सूचना भेजेगा जिसे मांग नोटिस माना जायेगा।

(घ) उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा मांग नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जायेगा।

परन्तु यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड(ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से पूर्व उसे संग्रहकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(6) नोटिस, डिमान्ड नोटिस या इस अधिनियम के अधीन पारित कोई अन्य आदेश उचित रूप से तामील किया माना जायेगा यदि उसे निम्नलिखित में से किसी माध्यम में से यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) के पते पर भेजा जाये –

(क) रजिस्टर्ड डाक द्वारा; या

(ख) संग्रहकर्ता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सुपुर्दगी; या

(ग) सम्बन्धित उत्पादक या उपभोक्ता के पास कुरीअर द्वारा सुपुर्दगी; या

(घ) ई–मेल द्वारा।

देय होने पर उपकर का भुगतान न करने पर जुर्माना

13. यदि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं करती है तो वह इस प्रकार देय उपकर के अतिरिक्त प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से जुर्माने का भुगतान करने का दायी होगा।

लेखा पुस्तिकायें इत्यादि न रखने पर जुर्माना

14. यदि कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये);–

(क) लेखा पुस्तिकायें नहीं रखता है या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार विवरणी जमा नहीं करता है, या

(ख) झूठे लेखे, पंजियाँ या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या जानबूझ कर झूठी सूचना प्रस्तुत करता है, या

(ग) संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर रूकावट डालता है, या इस धारा के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के प्रचालन में किसी व्यक्ति को सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसे दोषसिद्धि पर जुर्माना किया जायेगा जो दस हज़ार रूपये तक हो सकता है।

मीटर इत्यादि पर छेड़छाड़ से जुर्माना

15. (1) जो कोई (उत्पादक कंपनी के मामले में), बेईमानी से –

(क) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किये गये मीटर का उपयोग करता है, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर या लूप कनैक्शन का उपयोग करता है या किसी ऐसी अन्य युक्ति या तरीके का उपयोग करता है जो विद्युत करेंट के उचित रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता हो या अन्यथा ऐसा परिणाम देता हो जिससे उत्पादित विद्युत सही रूप से रिकार्ड न होती हो; या

(ख) विद्युत मीटर, उपकरणों को क्षति पहुंचाता हो, नष्ट करता हो या इस अधिनियम के उद्देश्य से विद्युत की उचित या सही मीटरिंग और रिकार्डिंग में हस्तक्षेप के लिये उनमें से किसी को क्षति पहुंचाने दे या नष्ट करने दे।

(ग) ऐसे साधनों का उपयोग करे जिनसे उत्पादित विद्युत की सही रीडिंग में व्यवधान होता हो, पर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि प्रथम बार पकड़े जाने पर इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम वित्तीय लाभ के बराबर होगा तथा दूसरी बार और उससे आगे पकड़े जाने पर जुर्माना इस उल्लंघन से प्राप्त वित्तीय लाभ के दोगुने से कम नहीं होगा।

(2)ऐसे वित्तीय लाभ की गणना के लिये यह माना जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी लगातार निम्नलिखित अवधि से उत्पादन कर रही है –

(क)10 मेगावाट से कम कुल संस्थापित क्षमता के मामले में एक वर्ष;

(ख) अन्य मामले में 2 वर्ष।

जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये, परीक्षण या पकड़े जाना, जो पहले हो की तिथि के ठीक पहले यह भी मान लिया जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी इस पूर्ण अवधि के दौरान अपनी पूर्ण संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थी।

सील करने की शक्ति

16. यदि यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय उपकर और जुर्माने का भुगतान डिमान्ड नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो संग्रहकता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी यथास्थिति, परियोजना/भवन या संस्थान को सील करेगा। उपकर तथा जुर्माने की वसूली होने तक सीलिंग प्रभावी रहेगी।

जुर्माना लगाने के लिये सक्षम अधिकारी

17. इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाने के लिये संग्रहकता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। तथापि किसी व्यक्ति/संस्थान को सुनवाई का अवसर दिये बिना जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

वसूली

18. (1) इस अधिनियम के अधीन उपकर या ब्याज या जुर्माने के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान यदि निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उसे बकाया माना जायेगा और तथा उस पर उपकर के साथ ब्याज और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत जुर्माना भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा।

(2) जहां कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) इस उपकर, जुर्माने या ब्याज के कारण किसी राशि का भुगतान करने का दायी है, तथा वह देय से कम राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पहले ब्याज के भुगतान हेतु उसके पश्चात् जुर्माना यदि कुछ शेष है और तत्पश्चात् उपकर यदि कुछ शेष है, के अनुसार समायोजित किया जायेगा।

अपील

19 (1) धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के अधीन संग्रहकर्ता के निर्णय से व्यथित कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) ऐसे निर्णय की तिथि से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

परन्तु यह कि धारा 18 के अधीन निर्धारण के आदेश के विरूद्ध किसी अपील पर राज्य सरकार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस संबंध में अपील की गई है उस संबंध में संग्रहकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित पचास प्रतिशत उपकर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ न लगाया जाये।

अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को तथा उपकर प्राधिकारी

को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में कारण अभिलिखित कर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उचित समझे तथा अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाये।

(2) जहां संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्रधिकारियों के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है वहां राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव से या अन्यथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्रधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर, किसी निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य तथा संग्रइकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता की संतुष्टि के उद्देश्य से कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगी और उनकी जांच कर सकेगी तथा उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे।अपने कार्यों के निष्पादन में अपील प्राधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।

(3) अपील या पुनरीक्षण में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

अन्य देयताओं का जुर्माने से प्रभावित न होना

20. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के संबंध में उसके अतिरिक्त होगा तथा किसी अपराध या देयताओं के अल्पीकरण में नहीं होगा।

अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे

21. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक माने जायेंगे।

क्षतिपूर्ति

22. इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये आशायित सद्भाव में किये गये किसी कार्य के लिये इस

अधिनियम के अधीन संग्रहकर्ता/निरीक्षक के विरूद्ध वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अधिकारिता पर रोक

23. उस संबंध में किसी न्यायालय की किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी जिस में इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इसका संज्ञान लेने व इसके निपटारे के लिये सक्षम किया गया है तथा जिस तरीके से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी उसमें विहित शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

नियम

24. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सामान्य रूप से नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिये उपबंध कर सकेंगे :–

(क) धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 4 के अधीन उपकर के उद्ग्रहण और संग्रह का तरीका और दर;

(ख) धारा 10 के अधीन उपकर प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) लेखा पुस्तिकायें और विवरणी रखने का तरीका और रूप तथा धारा 11 के अधीन विवरणी जमा करना;

(घ) संग्रहकर्ता द्वारा निर्धारण करने का तरीका;

(ङ) धारा 13 के अधीन देय साधारण ब्याज की दर; या

(च) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जायें या किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे;

परन्तु यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियम के लिये पूर्व प्रकाशन को हटा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम निर्मित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

(5) राज्य विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन या परिवर्तन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और तत्पश्चात् प्रभावी होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

25. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 342/XXXVI(3)/2015/79(1)/2014
Dated Dehradun , January 03, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Green Energy Cess Bill, 2014"** (Adhiniyam Sankhya 03 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 December, 2014.